यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, त्यूनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, त्यूनी के माह 03/2014 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजकुमार, लेखापरीक्षक, श्री खुशीराम व.ले.प. एवं सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.08.17 ls 01.09.17 से 22-09-2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विरेन्द्र सिंह, लेखापरीक्षक, श्री अरविन्द शर्मा व री सुनील सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.14 से 24.03.14 तक श्री एस.के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/07 से 02/14 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/14 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	00	00	2891000	2879548	52000	48676	-	4776
2015-16	00	00	2600000	2156084	68000	39812	-	472104
2016-17	00	00	1511926	1571926	140930	140930	-	NIL
2017 till date	00	00	1973920	1973920	288086	288086	-	NIL

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	NIL	शून्य	NIL	NIL	NIL
2015-16	रूसा	शून्य	2500000	NIL	NIL
2016-17	रूसा	शून्य	6246666	NIL	NIL
2017- till date	रूसा	शून्य	2500000	NIL	1628105

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हे इकाई सी श्रेणी की है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, त्यूनी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, त्यूनी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 (i) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : कॉशनमनी के तहत सृजित कोष रू0 1.78 लाख का रखरखाव अनियमित ढंग से किया जाना।

कार्यालय राजकीय महाविद्यालय, त्यनी (देहरादून) के अन्तर्गत कॉशनमनी से संबंधित दिशा–निर्देशों बैंक खाता तथा संगत अभिलेखों की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि राजकीय महाविद्यालय त्यूनी, गढ़वाल विश्वविद्यालय से अनुबंधित होने के कारण उनके प्रवेशार्थी निर्देशिका के नियम शर्तों के अनुरूपक ार्य कर रही थी। उक्त नियम शर्तों के अधीन कॉशनमनी के तथ्य के संबंध में उल्लेख पाया गया कि, विद्यार्थी द्वारा जमा की गई जमानत राशि अंतिम परीक्षा पास किये जाने के 01 वर्ष के अंतर्गत उसके द्वारा वापस मांगी जा सकती है। उपरोक्त समय के बीत जाने पर यह राशि स्वतः जब्त हो जायेगी और वापस नहीं होगी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में कॉशनमनी के पांच वर्षों के आंकड़ों की जांच में पाया गया कि प्रतिवर्ष प्रवेश करने वाले नये विद्यार्थियों से उक्त मद के लिये शुल्क संग्रहित किये जा रहे थे, परनतु इन वर्षों में महाविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों को वापस की गयी धनराशि शून्य पायी गयी। लेखापरीक्षा तिथि तक पाया गया कि अन्य प्रयोजनों के लिये दिनांक 08.12.13, 13.02.13, 14.02.13, 11.03.13, 19.03.13, 19.03.13, 06.04.13, 02.05.13 एवं 30.08.14 को समय–समय पर धन का आहरण किया गया (रू0 24356) जो लेखापरीक्षा तिथि तक असमायोजित था। उपलब्ध अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विगत 05 वर्षों में अब तक छात्रों को कोई प्रतिभूति राशि वापस नहीं की गयी। आगे जांच में पाया गया कि कॉशनमनी के वापसी के संबंध में छात्रों को जानकारी में लाने के लिये महाविद्यालय द्वारा समय–समय सूचना प्रकाशित करना प्रचलन में नहीं पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा स्पष्ट किया गया कि कॉशनमनी के संबंधित कोई गाइडलाइन शासन से प्रापत नहीं। समस्त छात्रनिधियों का रखरखाव विश्वविद्यालय निर्देश अनुसार किया जाता है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया। जब विश्वविद्यालय के गाईडलाइन में वर्णित है कि अंतिम परीक्षा पास किये जाने के 01 वर्ष के अंतर्गत छात्रों द्वारा कॉशनमनी वापस मांगी जा सकती है तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी थी कि छात्रों को उनकी धनराशि वापसी के संबंध में निर्धारित अवधि पर सूचना प्रकाशित कर मौका प्रदान करना चाहिए था। परन्तु महाविद्यालय द्वारा इसमें रूचि न लेकर समय–समय पर धन का आहरण अन्य प्रयोजन के लिये किया जाता रहा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01: रू0 707005 की प्रविष्टि कैशबुक में नियम संगत नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका के Volume-05 के नियम 27 अ के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में प्रपत्र 02 में राजकोष में जमा की। जमा की गयी तथा राजकोष अथवा बैंक से आहरित सभी धनराशियों की प्रविष्टि रोकड़बही में होनी चाहिए। रोकड़बही को प्रतिदिन Closed और Balanced करना चाहिए। तथा माह के अंत में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कैश–इन–हैण्ड द्वारा सत्यापित करके प्रमाणित करना चाहिए।

राजकीय महाविद्यालय त्यूणी की रोकड़बही की लेखापरीक्षा जांच की गई। जिसमें उपरोक्त किसी भी नियम पालन किया जाना नहीं पाया गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर महाविद्यालय ने स्पष्ट किया कि कार्यालय में स्टाफ की कमी होने के कारण कैशबुक एवं वाउचर्स की गार्ड फाइल का रख–रखाव उचित रूप से नहीं किया जा सका, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

महाविद्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है। चूंक महाविद्यालय में कैशियर की तैनाती पायी गयी। अतः यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि स्टाफ की कमी के कारण ऐसा हुआ। महाविद्यालय के कैशबुक संबंधी अभिलेख एवं वाउचर्स अव्यवस्थित ढंग से पाए गए। वाउचर्स की गार्ड फाइल भी नहीं बनाई गए जिसके कारण अनेक वाउचर्स लेखापरीक्षा में अपेक्षित होने के बावजूद भी अवलोकित नहीं कराए जा सके।

अतः रू0 707005 का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02: रू0 6.33 लाख धनराशि की पुस्तकों का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार विभागाध्यक्ष को एक वर्ष में रू0 5000/– तक की पुस्तकें क्रय का वित्तीय अधिकार प्रदत्त है। इससे अधिक पुस्तकों को क्रय करने हेतु कोटेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन सामान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार तीन वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। भौतिक सत्यापन के पश्चात आधिक्य या कमी जैसा भी प्रकरण को इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा पुस्कालय से सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि रू 6.33 लाख धनराशि की पुस्तकों को बिना कोटेशन प्राप्त कर क्रय किया जाना पाया गया, जो वित्तीय नियम के विरूद्ध है तथा भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर महाविद्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि स्टाफ की कमी होने के कारण कोटेशन को नहीं लिया गया तथा भविष्य में पुनरावृत्ति से बचा जायेगा।

उत्तर मान्या नहीं है क्योंकि वित्तीय नियम का पालन नहीं किया गया है तथा भौतिक सत्यापन भी नियमानुसार नहीं कराया गया है।

अतः रू0 6.33 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 03: पर्याप्त स्थल की अनुपलब्धता के कारण रू0 2.38 लाख लागत की कम्प्यूटर उपकरण अक्रियाशील पाया जाना।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय त्यूनी की लेखापरीक्षा में पाया गया कि रूसा परियोजना निदेशालय के पत्रांक 1404 (100)/रूसा/2016–17 दिनांक 08 मार्च 2017 द्वारा राजकीय महाविद्यालय त्यूनी को लागत रू0 2.38 लाख की कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध कराने के लिये नटराज इंजीनियरिंग सर्विसेज, देहरादून को क्रय आदेश जारी किया गया। जिसमें सफलतापूर्वक इन्स्टालेशन के उपरांत कम्प्यूटर व सहवर्ती उपकरणों के सुचारू रूप से क्रियाशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अवशेष 10 प्रतिशत के भुगतान का प्रावधान पाया गया।

अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि निदेशालय द्वारा क्रय आदेश जारी करने के पूर्व पत्रांक 86/रूसा/2016–17 दिनांक 07.10.16 द्वारा नोडल अधिकारी (रूसा) राजकीय महाविद्यालय त्यूनी, जो कि परियेाजना निदेशक, रूसा को संबोधित था, इस बात का उल्लेख पाया गया कि महाविद्यालय का अपना निजी भवन नहीं होने के कारण एवं स्थानाभाव के कारण उपरोक्त क्रय की जानी अभी संभव नहीं है तथा महाविद्यालय को निर्माणाधीन भवन हस्तान्तरण के उपरान्त ही समस्त उपकरण एवं सामग्री क्रय किया जाना संभव हो पायेगा। फिर भी रू0 2.38 लाख के कम्प्यूटर उपकरण क्रय कर बिना क्रियाशील हुये गाईडलाइन्स के विपरीत अवशेष धनराशि 10 प्रतिशत भी संबंधित फर्म को भुगतान किया जाना पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भवन के संबंध में शासकीय रिपोर्ट में चर्चा के बावजूद कम्प्यूटर उपकरणों का क्रय उच्चाधिकारियों के माध्यम से क्रय कर इस महाविद्यालय को आवंटित किया गया। जिसमें महाविद्यालय की भूमिका नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है। जल उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड की कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका वर्ष 2016–17 में इस बात की घोषणा थी की महाविद्यालय के पास अपना भवन नहीं है तथा इकाई ने भी इस सम्बन्ध में निदेशालय को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, फिर भी धनराशि को व्यय कर दी गयी, जो समर्पण से बचने के लिये हड़बड़ी में व्यय करने का प्रकरण सीधे तौर पर बनता है।

अतः रू0 2.38 लाख का अपव्यय का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
212/2013-14	-	.	**1, 2,**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
212/2013-14	01, 02	**-**	**-**	**-**

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, त्यूनी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा. एम.एम. जोशी	प्राचार्य	02/14 से 26.09.14
2	डा. सोहन लाल भट्ट	प्राचार्य	26.09.14 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, त्यूनी को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून–248195 को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
सामाजिक क्षेत्र